न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–112/2026

C.N.R.No.U.P.K.J.010002392026

1. अमित पुत्र रामकिशन

2. सुमित उर्फ गोलू पुत्र रामकिशन

निवासीगण ग्राम गढ़िया थाना ठठिया जिला कन्नौज।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण सं0 14/2026
परिवाद सं0 205/2024
धारा–115(2),351(2) व 352 बी0एन0एस0
व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना ठठिया व जिला कन्नौज।

जमानत आदेश

12.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमित व सुमित उर्फ गोलू की ओर से विशेष सत्र परीक्षण सं0 14/2026 धारा 115(2),351(2) व 352 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना ठठिया व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। वादी को नोटिस तामील है। वादी को पर्याप्त अवसर दिये गये। वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अमित आदि की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया कि वे निर्दोष हैं उन्हें पार्टी बन्दी के आधार पर झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई घटना कारित नहीं की है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। वास्तविकता यह है कि उनके खेत की मेड को परिवादी व उसके परिवारीजन बराबर काटते रहते हैं। जिसकी उसके परिवारीजन ने गॉव वालों से शिकायत की तथा मौके पर कटी हुई मेड दिखाई, जिससे नाराज होकर परिवादी ने उक्त परिवाद मनगढ़त तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार परिवादी राकेश कुमार द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि घटना दि० 20.07.2024 की शाम 5:00 बजे की है। वह अपने खेत पर काम कर रहा था, उसी समय उसके गांव के गोलू, अमित पुत्रगण रामकिशन यादव आये और कहने लगे कि साले बिडिया तूने मेरी मेड क्यों काट दी उसने कहा कि मेड तो आप लोगो ने काटी है मैने कहॉ काटी है। इतने मे उपरोक्त दोनो लोग उसे माँ बहन की

Digitally signed by POORNIMA PATHAK
Date: 2026.03.12 10:13:41 IST
Reason: Bail
Location: Spl Judge Sc/St Act Kannauj

गन्दी गन्दी व जाति सूचक गालियां देने लगे उसने गालियां देने से मना किया तो उपरोक्त लोगों ने उसे लात घूसों व थप्पडो से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को उसकी पुत्री मंगेश व पत्नी सुमन आदि ने देखा व उसे बचाया।

5. परिवादी के उक्त प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवादी ने अपने परिवाद कथानक के समर्थन में स्वंय को तथा अपने साक्षीगण सुमन व मंगेश उर्फ सारिका को परीक्षित कराया। न्यायालय द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त दिनांक 20.12.2025 को अभियुक्तगण अमित व सुमित उर्फ गोलू को धारा 115(2),351(2) व 352 बी0 एन0 एस0 व धारा 3(1)(द) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के आरोप में विचारण हेतु न्यायालय में तलब किया गया है।

6. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि अभियुक्त ने परिवादी को गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर चोटे पहुंचायी एवं यह जानते हुए कि परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य है उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की कोई चिकित्सीय आख्या पत्रावली में संलग्न नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **अमित व सुमित उर्फ गोलू** की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।
J.O Code UP 1570